निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 11/2021 तारीख दायरा 15.09.2021

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र उमाशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. दिनेश कुमार पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र हजारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद ।
2. जीतमल पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रार्थीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री चेतन प्रकाश सुमन (वकील अप्रार्थीगण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी नं0 1 के अन्य सहखातेदार के साथ संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 608 की 0.65 हैक्टर, व खसरा नं0 609 की 0.90 हैक्टर ग्राम नाहरिया पटवार क्षेत्र नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी क्रम 2 के खाते व कब्जे की ग्राम नाहरिया पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में अन्य खसरा नं0 की कृषि भूमियों के साथ खसरा नं0 595 की 2.05 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि के समीप अप्रार्थी क्रम 1 के खाते व कब्जे की खसरा नं0 579 की 1.64 हैक्टर, अप्रार्थी नं0 2 के खाते की खसरा नं0 592 की 0.67 हैक्टर भूमि ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद में स्थित है। खसरा नं0 592 की 0.67 हैक्टर भूमि के उत्तरी तरफ खसरा नं0 580 की भूमि स्थित है, जिसके उत्तरी तरफ खसरा नं0 572 नाहरिया श्यामपुरा रोड स्थित है।

प्रार्थी क्रम 2 अपने खाते व कब्जे की उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नं0 595 की 2.05 हैक्टर भूमि में हमेशा से अप्रार्थी क्रम 1 के खाते की खसरा नं0 579 की पूर्वी मेड तथा अप्रार्थी नं0 2 के खाते की खसरा नं0 592 की भूमि की पश्चिमी मेड पर मौजूद 8 फुट चौडे रास्ते से आता जाता रहा है। खसरा नं0 580 की भूमि पर भी अप्रार्थी क्रम 2 का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण खसरा नं0 580 की पश्चिमी मेड पर होकर भी हमेशा से अपनी कृषि भूमि में आते जाते रहे हैं। प्रार्थी नं0 1 भी उसके खाते की कृषि भूमि में उक्त खसरा नं0 580 की पश्चिमी मेड तथा खसरा नं0 579 की पूर्वी तथा खसरा नं0 592 की पश्चिमी मेड पर मौजूद रास्ते से होता हुआ खसरा नं0 595 की भूमि में उत्तरी तरफ से होता हुआ खसरा नं0 577 की भूमि में पूर्वी मेड पर मौजूद रास्ते पर होता हुआ, अपने खेत खसरा नं0 609 में हमेशा से आता जाता रहा है तथा प्रार्थीगण उक्त वर्णित रास्ते का सुखाधिकार के रूप में अपने खाते की कृषि भूमि आने जाने के लिए उपयोग–उपभोग निर्बाध रूप से करते चले आ रहे हैं।

पिछले कुछ दिनों से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थीगण को उनके खेत पर आने जाने के लिए खसरा नं0 580, 579 व 592 के मध्य स्थित भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग में लाने से मना करने लगे हैं, जिसकी वजह से प्रार्थीगण को उनके स्वयं के खाते व कब्जे की कृषि भूमियों के उपयोग में बाधा आने लगी है तथा उक्त रास्ता बाधित होने की स्थिति में प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के प्रावधानों के अनुसार खसरा नं0 580, 579 व 592 के मध्य स्थित भूमि में 8 फुट चौडा पूर्व से पश्चिम व 370 फुट उत्तर से दक्षिण लम्बाई में रास्ते में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि भी अप्रार्थीगण को अदा करने को तत्पर है, किन्तु अप्रार्थीगण फिर भी उक्त रास्ते को बहाल करने में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा लगातार बाधित करने को आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का भली प्रकार उपयोग–उपभोग नहीं कर पायेंगे, जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में भी नहीं हो पाएगी। प्रार्थीगण के पास उनकी स्वयं की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता कभी भी मौजूद नहीं रहा है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की महति आवश्यकता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा पारित फरमायी जावें कि :–

ग्राम नाहरिया पटवार क्षेत्र नाहरिया सांगोद जिला कोटा में प्रार्थी नं0 1 के अन्य सहखातेदार के साथ संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 608 की 0.65 हैक्टर व खसरा नं0 609 की 0.90 हैक्टर व प्रार्थी क्रम 2 के खाते व कब्जे की ग्राम नाहरिया पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में अन्य खसरा नं0 की कृषि भूमियों के साथ स्थित खसरा नं0 595 की 2.05 हैक्टर कृषि भूमि में पहुचने के लिए अप्रार्थी क्रम 1 के खाते व कब्जे की खसरा नं0 579 की 1.64 हैक्टर की पूर्वी मेड व अप्रार्थी नं0 2 के खाते की खसरा नं0 592 की 0.67 हैक्टर भूमि की पश्चिमी मेड व खसरा नं0 580 की पश्चिमी मेड स्थित ग्राम नाहरिया तहसील सांगोद में मौजूद उत्तर से दक्षिण 370 फुट लम्बाई व पूर्व से पश्चिम 8 फुट चौडाई के रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज की जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि जो भी विधि के अनुरूप बनती है, को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण से प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को आदेशित किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई [illegible] पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय [illegible] में रखी गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहमति व्यक्त करते हुए इकेबाली जवाब प्रस्तुत किया गयां। संबंधित पटवारी हलका द्वारा रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:27 IST
Reason: SelfAttested

के रूप में उपयोग ली जाने वाली भूमि की डी.एल.सी दर के अनुसार भूमि के मूल्य 22874/– की दोगुनी राशि 45748/– (अक्षरे पैतासिल हजार सात सौ अडतालिस) रूपये होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, नकल जमाबंदी, राजस्व रेकार्ड, इकबाली जवाब तथा पटवारी रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण ने उनके प्रार्थना पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

ग्राम नाहरिया पटवार क्षेत्र नाहरिया सांगोद जिला कोटा में प्रार्थी नं0 1 के अन्य सहखातेदार के साथ संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 608 की 0.65 हैक्टर व खसरा नं0 609 की 0.90 हैक्टर व प्रार्थी क्रम 2 के खाते व कब्जे की ग्राम नाहरिया पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा में अन्य खसरा नं0 की कृषि भूमियों के साथ स्थित खसरा नं0 595 की 2.05 हैक्टर कृषि भूमि में पहुचने के लिए अप्रार्थी क्रम 1 के खाते व कब्जे की खसरा नं0 579 की 1.64 हैक्टर में से 0.0132 हैक्टर भूमि पूर्वी मेड व अप्रार्थी नं0 2 के खाते की खसरा नं0 592 की 0.67 हैक्टर में से 0.0132 हैक्टर भूमि पश्चिमी मेड में उत्तर से दक्षिण 370 फुट लम्बाई व पूर्व से पश्चिम 8 फुट चौडाई के रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज की जावे। उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि 45748/– (अक्षरे पैतासिल हजार सात सौ अडतालिस रूपये) को समभाग में अर्थात अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 22874/– (अक्षरे बाईस हजार आठ सौ चौहत्तर रूपये) प्रार्थीगण द्वारा भुगतान किया जाने के उपरान्त ही उक्त आदेश की पालना की जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:27 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा